


विभाग का नाम : खाद्य, सम्भरण एवं उपभोक्ता कार्य कलाप विभाग आपूर्ति
विभाग का पता : के-ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली.

अतारंकित प्रश्न संख्या- 128
दिनांक : 30 जुलाई, 2021
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विशेष रवि

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
क)	मेरे द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को क्रमशः दिनांक-संदर्भ संख्या 16.06.21-119352, 17.03.21-118888, 18.11.20-116411, 28.09.20-115774, 28.01.17-8025 के लिखे गए पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और	<p>1. पत्र संख्या 119352 दिनांक 16/06/21:-</p> <p>इस पत्र में माननीय विधायक ने एफपीएस नंबर 6271ए 6753ए 3984 और 8360 के खिलाफ शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को अग्रेषित किया है । तदनुसार एफपीएस धारकों को सभी प्रासंगिक अभिलेखों के साथ अपने बचाव में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 06/07/2021 को कॉल मेमो 1252-1255 दिनांक 02/07/2021 द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए बुलाया गया था । सभी एफपीएस धारकों ने प्रस्तुत किया है कि सभी शिकायतकर्ताओं को उनके राशन की देय मात्रा प्राप्त हो गई है और इसे शिकायतकर्ता से टेलीफोन के माध्यम से सत्यापित किया गया है । यह आगे पाया गया है कि एफपीएस धारकों ने आम जनता को अनावश्यक देरी और असुविधा की । आदेश संख्या 1371-75 और 1376-80 दिनांक 20/07/2021 के तहत एफपीएस धारक 3984 और 8360 प्रत्येक पर 3000 रुपये का जुर्माना लगाया गया । एफपीएस धारक 6271 को आदेश संख्या 1366-70 दिनांक 20/07/2021 के तहत 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था ।</p> <p>माननीय विधायक महोदय को ईमेल delhidvs@gmail.com द्वारा दिनांक 28.07.2021 उपरोक्त कार्रवाई के संबंध में सूचित किया गया है ।</p> <p>2. पत्र संख्या 118888 दिनांक 17.03.2021 :-</p> <p>इस पत्र में माननीय विधायक ने एफपीएस नंबर 6753 और एफपीएस नंबर 6961 के खिलाफ शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को अग्रेषित किया है । तदनुसार एफपीएस धारकों को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए 25.03.2021 के कॉल मेमो नंबर 618 और 619 दिनांक 23.03.2021 द्वारा सभी प्रासंगिक अभिलेखों के साथ अपने बचाव में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया था । सभी एफपीएस धारकों ने प्रस्तुत किया है कि सभी शिकायतकर्ताओं को उनके राशन की देय मात्रा प्राप्त हो गई है और शिकायतकर्ताओं से टेलीफोन के माध्यम से इसका सत्यापन भी किया गया है । यह आगे पाया</p>


Secretary-Cum-Commissioner
Dept. of Food, Supplies & Consumer Affairs
Govt. of N.C.T. of Delhi
K- Block, Vikas Bhawan, L. P. Estate
New Delhi- 110002

गया कि एफपीएस धारक ने आम जनता को अनावश्यक देरी और असुविधा की अतः आदेश संख्या 879 दिनांक 15.04.2021 के तहत एफपीएस धारक 6961, मै0 प्रभुदयाल एवं सन्स पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था और एफपीएस संख्या 6753 - मै0 फूलचन्द योगेन्द्र कुमार की दुकान पर प्रवर्तन शाखा द्वारा औचक निरीक्षण के बाद उसकी सम्पूर्ण सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई थी ।

माननीय विधायक महोदय को ईमेल delhidvs@gmail.com द्वारा दिनांक 28.07.2021 उपरोक्त कार्रवाई के संबंध में सूचित किया गया ।

3.पत्र संख्या 116411 दिनांक 18.11.2020 :-

इस पत्र में माननीय विधायक ने श्रीमती सरला देवी की शिकायत और उनके कई आरोपों को अग्रसारित किया है । इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट माननीय विधायक महोदय को ईमेल delhidvs@gmail.com द्वारा दिनांक 23.12.2020 के माध्यम से पहले ही भेज दी गई थी ।

4.पत्र संख्या 115774 दिनांक 28.09.2020

इस पत्र में माननीय विधायक ने राशन कार्ड के भारी बैकलॉग के संबंध में चिन्ता व्यक्त की थी और जल्द से जल्द लंबित आवेदनों को निपटाने का अनुरोध किया था । इस संबंध में माननीय विधायक जी को वस्तुस्थिति से पत्र संख्या-389 दिनांक 12.10.2020 द्वारा अवगत कराया गया व दिल्ली में एनएफएस लाभार्थियों की ऊपर कोटा सीमा की उपलब्धि से पहले कुल 331 आवेदनों का निपटारा किया गया है ।

5.पत्र संख्या 8025 दिनांक 28.01.2017

इस पत्र में माननीय विधायक ने श्रीमती गीता तिवारी की शिकायत को अग्रसारित किया है । मण्डल कार्यालय द्वारा इस संबंध यथोचित कार्रवाई कर अग्रसारित शिकायत का निपटान कर दिया और स्थिति रिपोर्ट से माननीय विधायक महोदय को पत्र संख्या-584 दिनांक 29.07.2021 के माध्यम से अवगत करा दिया गया ।

ख) उक्त पत्रों में उठाए गए विषयों के संबंध अद्यतन स्थिति क्या है?

उपरोक्त "क" के अनुसार ।



Secretary-Cum-Commissioner
Deptt. of Food, Supplies & Consumer Affairs
Govt. of N.C.T. of Delhi
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate
New Delhi- 110002